छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी, 2009
(माघ - 24, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 13 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से 8 (कुल 8) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 13 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य ने जिला-जांजगीर के रेल्वे स्टेशन परिसर स्थित ए.टी.एम. में लूट की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य (अनुपस्थित)- सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र सिहावा अंतर्गत ग्राम घुरावड़ में विद्युत व्यवस्था न होने,

(2) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जिला-जांजगीर-चांपा, ग्राम हसौद से जैजैपुर से बाराद्वार सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता होने,

(3) श्री गुरू रुद्र कुमार, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र आरंग के स्वास्थ्य केंद्र पर डाक्टरों की कमी होने,

(4) श्री खेदूराम साहू, सदस्य ने जिला-राजनांदगांव सिंचाई परियोजना मोंगरा बराज में किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दिये जाने, तथा

(5) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने विकासखंड-सरायपाली, ग्राम-बटकी में तालाब निर्माण व पचरी निर्माण कार्य में अनियमितता होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5 याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) महंत रामसुंदर दास

(2) श्री चैतराम साहू

(3) श्री बद्रीधर दीवान

6. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

माननीय गृह मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-
डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, लखमा कवासी, विरेन्द्र कुमार साहू, परेश बागबाहरा, खेदूराम साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, सेवकराम नेताम, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए ।)

श्री अग्नि चंद्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, भू राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 9, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, अग्नि चंद्राकर , कुलदीप सिंह जुनेजा एवं परेश बागबाहरा, **मांग संख्या-79 पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, **मांग संख्या-7 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-8 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-9 पर** डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, **मांग संख्या-35 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं कुलदीप सिंह जुनेजा **मांग संख्या-58 पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य
के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, अग्नि चंद्राकर, संतोष बाफना,

7. घोषणा

माननीय सभापति ने सदन की अनुमति से कार्यसूची में दर्ज पद क्रमांक 4(2) की कार्यवाही पूर्ण होने व 4(3) में उल्लिखित अनुदान मांग प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् कार्यसूची के पद क्रमांक 5 का कार्य प्रारंभ किये जाने की घोषणा की।

8. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री दयालदास बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, फूलचंद सिंह, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, दीपक कुमार पटेल, डॉ(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री देवजी भाई पटेल, परेश बागबाहरा, लेखराम साहू, मदनलाल साहू, रामदयाल उइके, सौरभ सिंह, शिवराज सिंह उसारे, भोलाराम साहू, श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, ह्दयराम राठिया।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, बिलासपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास से संबंधित विदेशों से

सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 77, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-15 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-33 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, **मांग संख्या-41 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-42 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-49 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-53 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-64 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-66 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-68 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री भोलाराम साहू एवं डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम **मांग संख्या-82 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-83 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-20 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री भोलाराम साहू एवं श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य
के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांग और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा दिनांक 14 फरवरी, 2009 को होगी।
श्री अजीत जोगी, सदस्य चर्चा प्रारंभ करेंगे।

9. अशासकीय संकल्प

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट, धुएं एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कारगर कार्यवाही की जाना।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए ।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, दीपक कुमार पटेल, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री संतोष बाफना।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा सदस्य से संकल्प वापिस लेने का आग्रह किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(2) बस्तर में बहने वाली इंद्रावती नदी में पानी की युक्तियुक्त व्यवस्था करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाना।

डॉ.सुभाऊ कश्यप, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री डॉ.हरिदास भारद्वाज, संतोष बाफना, लखमा कवासी।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प को वापस लेने हेतु माननीय सदस्य से अनुरोध किया।

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

रात्रि 9.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 14 फरवरी, 2009 (माघ 25, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा